



रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमानजी मुताबिक नक्शा-बट्टा मूल शीट एवं नक्शा प्रति अनुसार  
219 गै.पु. रास्ता भाम-मालकसर जिस्के, तरमीम के दौरान ही टुकड़े करके  
219 व 228 कर दिया, जबकि <sup>भौगोलिक</sup> ख.नं. 228 खातेदारी का पैपर ख.नं. 227 के अंत  
में पर है जिसे नक्शा शीट पर दर्शाया हुआ है, उक्तानुसार नक्शा में  
तरमीम शुद्ध की जानी उचित है।

  
पटवारी व. जीली

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमानजी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार  
नक्शे के टुकड़ों की जानी उचित है।

  
तहसीलदार(भू.अ.)  
सुजानगढ़(चूरु)


प्रकरण सं.: 06/2026

आदेश

आदेश दि. 16-01-26

तहसीलदार सुजानगढ़ की सल्लिखण व सल्लम  
दस्तावेजों के आधार पर रोही ग्राम मालकसर तहसील  
सुजानगढ़ के प्रश्नगत ख.नं. 219 व ख.नं. 228  
की तरमीम मुताबिक नक्शा-बट्टा मूल शीट किया जाने  
का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार  
सुजानगढ़ को पालनाथ प्रेषित है।



  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

